

प्रेस नोट

जनपद हाथरस के थाना सिकन्दाराऊ पुलिस व एसओजी टीम की बदमाश से हुई मुठभेड में पुलिस अभिरक्षा से फरार, थाना सिविल लाईन अलीगढ के मुकदमे में 14 माह से वाँछित ₹25000/- रुपये का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल/गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलाह, जिन्दा व खोखा कारतूस व एक मोटरसाईकिल बिना नम्बर बरामद-

पुलिस अधीक्षक हाथरस श्री विनीत जायसवाल द्वारा चलाये जा रहे सघन चैकिंग अभियान संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी सिकन्दाराऊ के कुशल पर्यवेक्षण में थाना सिकन्दाराऊ पुलिस व एसओजी टीम की बदमाश से हुई मुठभेड में पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में पुलिस अभिरक्षा से फरार, थाना सिविल लाईन अलीगढ के मुकदमे में वाँछित ₹25000/- रुपये का इनामी बदमाश सगीर पुत्र धुम्मे खां उर्फ मुन्ने खाँ निवासी धुबई थाना हसायन जनपद हाथरस गोली लगने से घायल हुआ है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार/घायल अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर, 4 जिन्दा व 5 खोखा कारतूस एवं एक मोटरसाईकिल बिना नम्बर की बरामद हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिकन्दाराऊ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 23.11.2019 को उक्त गिरफ्तार/घायल अभियुक्त जनपद हाथरस से माननीय न्यायालय पेशी के उपरान्त कारागार जेल अलीगढ वापस ले जाते समय थाना सिविल लाईन अलीगढ क्षेत्र से पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना सिविल लाईन अलीगढ में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जो करीब 14 माह से फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ द्वारा ₹25000/- का इनाम घोषित किया गया था।

नोट- पुलिस अधीक्षक हाथरस द्वारा पुलिस टीम को उनके सराहनीय कार्य के लिये उत्साहवर्धन हेतु ₹25000/- रुपये के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सगीर पुत्र धुम्मे खां उर्फ मुन्ने खाँ निवासी धुबई थाना हसायन जनपद हाथरस।

बरामदगी का विवरण-

1. एक अवैध तमंचा 315 बोर
2. 5 खोखा कारतूस 315 बोर
3. 4 जिन्दा कारतूस 315 बोर
4. एक मोटरसाईकिल बिना नम्बर

अभियुक्त सगीर का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 529/15 धारा 457,380,411 भादवि थाना कोतवाली हाथरस जनपद हाथरस।
2. मु0अ0सं0 576/15 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली हाथरस जनपद हाथरस।
3. मु0अ0सं0 699/15 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली हाथरस जनपद हाथरस।
4. मु0अ0सं0 784/18 धारा 307 पु0मु0 थाना खैर जनपद अलीगढ।
5. मु0अ0सं0 785/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खैर जनपद अलीगढ।
6. मु0अ0सं0 246/18 धारा 457,380,411 भादवि थाना छर्ना जनपद अलीगढ।
7. मु0अ0सं0 388/18 धारा 457,380,411 भादवि थाना हरदुआगंज जनपद अलीगढ।
8. मु0अ0सं0 659/19 धारा 224.223 भादवि थाना सिविल लाईन जनपद अलीगढ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री मुनीश चन्द्र, प्रभारी एसओजी टीम जनपद हाथरस।
2. श्री प्रवेश राणा, प्रभारी निरीक्षक थाना सिकन्दाराऊ जनपद हाथरस।
3. उ0नि0 सोबरन सिंह, थाना सिकन्दाराऊ जनपद हाथरस।
4. उ0नि0 प्रमोद कुमार, थाना सिकन्दाराऊ जनपद हाथरस।
5. है0कां0 341 शीलेश कुमार, एसओजी टीम जनपद हाथरस।
6. है0कां0 64 जवाहर लाल, एसओजी टीम जनपद हाथरस।
7. है0कां0 302 अफरोज, एसओजी टीम जनपद हाथरस।

कां0 723 सचिन कुमार, कां0 282 जोगिन्दर सिंह, कां0 303 सोनवीर सिंह, कां0 251 चेतन राजौरा, एसओजी टीम हाथरस।

है0कां0 265 प्रेमनाथ, है0कां0 314 प्रदीप कुमार, है0कां0 317 चन्द्रपाल सिंह, कां0 389 फिरोज अली, कां0 808 सचिन कुमार, कां0 691 अरविन्द, थाना सिकन्दाराऊ जनपद हाथरस।

